

DEVKI LEASING AND FINANCE LIMITED

REG off: "VELOCITY", 18-A Scheme No 94 C, Ring Road, Indore (M.P.) 452010

CIN: L65921MP1993PLC007522 Email ID- difindore@gmail.com

Phone no. - 0731-4735555

**NOTICE OF THE TWENTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given to the Members of DEVKI LEASING AND FINANCE LIMITED that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 25th day of September, 2018 at 1:30 PM at the registered office of the company at "VELOCITY", 18-A Scheme No 94 C, Ring Road, Indore (M.P.) 452010 to transact Ordinary and Special Business as set out in the notice of the AGM together with the Explanatory Statement relating to the businesses specified therein.

Electronic copies of the Notice of the 26th AGM, Annual Report for the year 2017-18, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map have been sent electronically to all the shareholders whose email IDs are registered with the Company & Share Transfer Agent M/s Ankit Consultancy Private Limited. The Physical copies of the Notice, Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map have been sent to all other shareholders at their registered address in permitted mode. The Company has completed the dispatch of Annual Report as well as sending of Annual Report by emails to Members on 31st August 2018.

The Annual Report with aforesaid documents is also available on the Company's website www.devkileasing.com. Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing at the Company's email id- difindore@gmail.com or at Registered Office address of the Company.

Further Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and applicable rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI LODR, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 19, 2018 to Tuesday, September 25, 2018 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 (1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in Notice of the AGM which has already been sent to the Members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. The Cutoff date for determining the eligibility of the members for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, 18th September 2018.
2. The remote e-voting period commences on Saturday, 22nd September 2018 at 9.00 am, and ends on Monday, 24th September 2018 at 5.00 pm. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
3. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
4. Members may participate in the Annual General Meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
5. The facility for voting through poll paper shall be made available at the AGM and members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. In the case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through poll paper shall be treated as invalid.
6. Persons who have acquired shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. 18th September 2018, may obtain the login-ID and password by sending request at ankit_4321@yahoo.com. However if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user Id and password can be used for casting vote.
7. In case of any queries or grievances relating to remote e-voting, members/ beneficial owners may refer the "Frequently Asked Questions" and "E-voting manual" available at CDSL website, www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
8. The Notice of the 26th AGM is also available on the website of the CDSL www.evotingindia.com.
9. The entry at the meeting venue will be regulated by attendance slip, which has been sent along with Annual Report to the members. Members are requested to submit duly filled in Attendance slip at the registration counter to attend the AGM.
10. The shareholder may contact Company Secretary of the Company for any grievance connected with electronic voting:

Ms. Shilpa Gulani,
"Velocity" 18-A, Scheme 94C,
Ring Road, Indore (MP) - 452010
Email: difindore@gmail.com
Telephone: 0731-4735510

SEBI notifications

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide notification dated 20th April, 2018 has mandated registration of PAN and Bank Account Details for all security holders. Members holding shares in physical form are therefore, requested to submit their PAN and Bank Account details to Ankit Consultancy Private Limited (Registrar and Share transfer agent) at 60 Electronic Complex, Pardeshipura, Indore (M.P.) 452010, Tel No-0731-2551745, Fax-0731-4065796,, Email-ankit_4321@yahoo.com along with a self-attested copy of PAN Card and original cancelled cheque. The original cancelled cheque should bear the name of the Member. In the alternative Members are requested to submit a copy of bank passbook/ statement attested by the bank. Members holding shares in Demat form are requested to submit the aforesaid information to their respective Depository Participant.

SEBI vide notification dated 8th June 2018, has amended Regulation 40 of SEBI (LODR) Regulations 2015, mandating transfer of securities only in dematerialized form. Accordingly, the Company will not accept requests for transfer of Securities unless the Securities are held in dematerialized form with effect from 5th December 2018.

For DEVKI LEASING AND FINANCE LIMITED

Place: Indore
Date: 31.08.2018Shilpa Gulani
Company Secretary

Free Press

देवकी लीजिंग एण्ड फायनेंस लिमिटेड

पंजी. ऑफिस: वेतोसिटी, १८-ए, स्कीम नं. १४ सी, रिंग रोड, इंदौर (एच. पी.) ४५२०१०
 सीआईएल: एन६५९२१एपी१९१३पीएलसी००७५२२, ई-मेल आईडी - dflindore@gmail.com
 वेब: www.devkileasing.com, फोन नं.: ०७३१-२४३५५५५

२६वीं वार्षिक आम बैठक, रिपोर्ट ई-वोटिंग और बुक वलोजर हेतु सूचना
 सूचित किया जाता है कि 'देवकी लीजिंग एंड फायनेंस लिमिटेड' के सदस्यों की प्रवृत्तियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, २५ सितंबर, २०१८ को ०१.३० बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय वेतोसिटी, १८-ए स्कीम १४ सी, रिंग रोड, इंदौर ४५२०१० (एचपी) पर आयोजित की जाएगी। यह एजीएम सामान्य और विशेष कारोबार के संचालन के लिए होगी, जिस की १४ अगस्त, २०१७ के नोटिस में बताया गया है।

२६ वीं वार्षिक बैठक और वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिमांडिस्ट्री सहभागी (ओं) के साथ पंजीकृत हैं, और अन्य सदस्यों को भौतिक प्रतियां अनुज्ञापित ढंग से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गयी है। कंपनी ने ०१ सितंबर, २०१८ को शेयरधारकों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण पूरा कर लिया है।

२५ वीं वार्षिक बैठक और वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट devkileasing.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी की ईमेल आईडी: dflindore@gmail.com और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर उसी की एक प्रति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ११ के अनुसार, २५ वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, १९ सितंबर, २०१८ से मंगलवार, २५ सितंबर, २०१८ (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों, जिन्हें कंपनियों अधिनियम (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम २०, में समय-समय पर हुए संशोधन के साथ पढ़ा जाये, को और भारत की सिक्करीटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (लिस्टिंग ऑफ्लिंगेज एंड डिस्क्लोजर रिगुलेशन) अधिनियम, २०१५, के नियम ४४ के अनुसार

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा २६ वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तावित प्रस्तावों पर विचार करने एवं वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाती है। एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिपोर्ट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा वोटों का कास्ट करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

कंपनी अधिनियम २०१३ के प्रावधानों के अनुसार जानकारी और नियम नीचे दिए गए हैं:

१. रिपोर्ट ई-वोटिंग के प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि: मंगलवार १८ सितंबर २०१८

२. रिपोर्ट ई-वोटिंग की तारीख और समय: शनिवार, २२ सितंबर, २०१८, ९.०० बजे से होगी। ई-वोटिंग के समाप्ति दिनांक और समय: सोमवार, २४ सितंबर, २०१८, ५.०० बजे होगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग को उस समय और तारीख से परे अनुमति नहीं दी जाएगी।

३. जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है या अंतिम तिथि पर डिमांडिस्ट्रीज द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में नामांकित है केवल वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम स्थल पर होने वाली वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

४. सदस्यों को रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में फिर से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

५. चुनाव पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने रिपोर्ट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम स्थल पर अपना अधिकार इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। यदि किसी सदस्य ने दोनों मतों के माध्यम से अपना वोट डाला तब ई-वोटिंग द्वारा किया जाने वाला मतदान मान्य होगा और मतदान पत्र द्वारा डाला गया वोट अवैध माना जाएगा।

६. कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों को प्राप्त किया है और कंपनी का सदस्य बना है और अंतिम तिथि १८ सितंबर २०१८ को शेयरों का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है, वह मैसर्स अंकिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को अपने फोन नंबर / डीपी आईडी / व्हाट्सएप आईडी नंबर का उल्लेख करके ankit_4321@yahoo.com पर अनुरोध कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि अगर व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लिए किया जा सकता है।

७. ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न होने पर सदस्य / लाभकारी मालिक सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं।

८. २६ वीं एजीएम की सूचना सीडीएसएल www.evotingindia.com की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

९. बैठक स्थल पर प्रवेश की अनुमति उपस्थिति स्लीप द्वारा विनियमित की जाएगी, जो सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजी गयी है। सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम में भाग लेने के लिए विधिवत तरीके से उपस्थिति पत्रों को पंजीकरण कार्डेंटर पर जमा कराएं। १. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का संपादन किया जा सकता है।

१०. इलेक्ट्रॉनिक मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायतों के लिए शेयरधारक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से संपर्क कर सकता है।

सुश्री शिल्पा गुलानी
 देवकी लीजिंग एंड फायनेंस लिमिटेड
 वेतोसिटी, १८-ए स्कीम नं. १४ सी, रिंग रोड, इंदौर ४५२०१० (एचपी)
 टेलीफोन: + ९१-७३१ ४७३५५१०
 ईमेल आईडी- dflindore@gmail.com

२० अप्रैल, २०१८ की अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सभी सूखा धारकों के लिए पेन और बैंक खाता विवरण के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। भौतिक शेयरधारकों से है कि वे अपना स्वयं-प्रमाणित बैंक कार्ड, बैंक खाता विवरण, मूल रद्द चेक के साथ अंकिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट)

७०, इलेक्ट्रॉनिक परिसर, परदेशीपुरा, इंदौर (एचपी) ४५२०१०, टेली नं. ०७३१-२६५१७५, फैक्स -०७३१-४०६५७९८, ईमेल-
ankit_4321@yahoo.com पर जमा करें। मूल रद्द चेक पर सदस्य का नाम होना आवश्यक है।

वैकल्पिक रूप से, सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक पासबुक/स्टेटमेंट की एक प्रति जमा करें। डीमैट फॉर्म वाले शेयरधारकों से उपरोक्त जानकारी को उनके संबंधित डिमांडिस्ट्री प्रतिभागी को जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

८ जून २०१८ की अधिसूचना के माध्यम से सेबी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन २०१५ के विनियमन ४० में किए गए संशोधन के अनुसार, वैकल्पिक प्रतिभूतिकृत रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को अनिवार्य करण है। तदनुसार, कंपनी सिक्करीटरीज के हस्तांतरण के अनुरोधों को स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि ६ सितंबर २०१८ से सिक्करीटरीज को डिमैट-रियलटाइम फॉर्म में नहीं रखा जाता है।

स्थान: इंदौर
 देवकी लीजिंग एंड फायनेंस लिमिटेड के लिए
 सुश्री शिल्पा गुलानी
 कंपनी सेक्रेटरी
 दिनांक: ३१.०८.२०१८

११
चाथा संसार